पंजीयन क्र. 2672 दिनांक 7.3.72 दूरभाष/फैक्स क्र. 0761.2426110

सरस्वती शिक्षा परिषद मध्यप्रदेश

महाकोशल प्रान्त

नरसिंह मंदिर के पीछे, शास्त्री ब्रिज, जबलपुर–482001
web. : www.vidhyabhartimahakoshal.org
E-mail : parishadjbp@gmail.com

परिपत्र क्र. 8/2016–17 **दिनांकः 25.05.2017**

प्रति,

श्रीमान् व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु मंदिर/उच्च.माध्य.विद्यालय
महाकोशल प्रांत

आदरणीय बंधुवर,

सप्रेम नमस्कार

विश्व में प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, परम्पराओं, जीवन मूल्यों, महापुरूषों के अनुभवों एवं ज्ञान–विज्ञान को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भावी पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने का प्रयास करता है। विद्या भारती द्वारा भावी पीढ़ी के निर्माण की दृष्टि से भैया/बहिनों एवं आचार्यों के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा, प्रश्नमंच एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

आप सभी से आग्रह है कि अपने विद्यालय के साथ–साथ अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिकाधिक संख्या में **''संस्कृति ज्ञान परीक्षा''** में सम्मिलित करावें।विद्यालय स्तर पर निम्नानुसार कार्ययोजना बनाई जा सकती है।

1– विद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व **''संस्कृति बोध माला''** पुस्तिकाओं को कक्षावार संख्या एवं शुल्क कुरूक्षेत्र कार्यालय भेजकर मंगा लेवें।

2– कम से कम 10 अन्य विद्यालयों में अपने सम्पर्क एवं प्रयास के द्वारा वहाँ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित करावें।

3– आचार्यों की टोली बनाएँ। प्रत्येक टोली के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित करें।

4– जून–जुलाई माह में न्यूनतम 15 दिवस का अभियान लेकर अधिकाधिक संख्या में छात्रों एवं अभिभावकों को सम्मिलित करावें।

5– आप विद्यालय के समस्त भैया/बहिनों एवं आचार्यों, प्राचार्य, प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से इस परीक्षा में सम्मिलित करावें।

6– भैया बहिनों की परीक्षा प्राचार्य–प्रधानाचार्य की देख–रेख में एवं आचार्यों की परीक्षा व्यवस्थापक अथवा उनके द्वारा नामित किसी समिति सदस्य की देख–रेख में सम्पन्न होना चाहिए।

7– परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। विद्यालय की ओर से भी प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार की योजना करें। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक कक्षा में प्रथम दस विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें।तथा आचार्यों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत करें।

1. **भैया–बहिनों के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा–** कक्षा चतुर्थ से द्वादशी तक सभी विद्यालयों के लिए परीक्षा शुल्क 20/– प्रतिछात्र है। इसमें से 2/– प्रतिछात्र की दर से विद्यालय में पुरस्कार आदि पर व्यय करने हेतु रखें तथा 18/– प्रति छात्र की दर परीक्षा शुल्क कुरूक्षेत्र कार्यालय भेजना है। शुल्क एवं संख्या पत्रक दोनों एक साथ भेजें।

2. **आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा की प्रक्रिया निम्नानुसार है –**

1. परीक्षा शुल्क

(1) प्रवेशिका, मध्यमा व उत्तमा तीनों ही वर्गों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का शुल्क रुपए 30/– (तीस रुपए) प्रति परीक्षार्थी निर्धारित किया गया है, जिसे दिनांक 31 अगस्त 2017 तक कुरुक्षेत्र कार्यालय में पहुँचना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट/धनादेश 'संस्कृति ज्ञान परीक्षा' के नाम से ही भेजें।

(2) प्रज्ञा परीक्षा का शुल्क रुपए 100/– (एक सौ रुपए मात्र) रहेगा। इसमें परीक्षा हेतु पाठ्य पुस्तक का मूल्य सम्मिलित है। यह परीक्षा केवल उन आचार्यों के लिए होगी जो प्रवेशिका, मध्यमा एवं उत्तमा तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं।

2. परीक्षा दिनांक व जाँच कार्य –

आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा तथा प्रज्ञा सभी स्तरों की **16 दिसम्बर 2017** को सम्पन्न होंगी। इनका मूल्यांकन केन्द्रीय कार्यालय कुरुक्षेत्र में होगा, परीक्षोपरान्त ये 'उत्तर पुस्तिकाएं' प्रधानाचार्य के पत्र के साथ कुरुक्षेत्र कार्यालय में पते पर परीक्षा आयोजन के दिन ही अथवा आगामी कार्य दिवस को प्रेषित की जानी चाहिए। इसमें विलम्ब होने पर उत्तर पुस्तिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आचार्य प्रज्ञा परीक्षा–

(1) यह परीक्षा उन सभी आचार्य बंधु/भगिनी के लिए है जिन्होंने प्रवेशिका, मध्यमा एवं उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

(2) यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ, संक्षिप्त उत्तरात्मक एवं वर्णनात्मक उत्तर वाले प्रश्नों के रूप में होगी।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न	30 अंक
संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न	50 अंक
वर्णनात्मक	20 अंक

(3) पाठ्यक्रम (2017–18 के लिए) –

1. दिशा बोध (अनुकरणीय उदबोधन) – 55.00 रुपये
   प्रकाशक – विद्या भारती प्रकाशन, संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र

2. हमारा लक्ष्य – 15.00 रुपये
लेखक – माननीय दीनानाथ बत्रा
प्रकाशक – विद्या भारती प्रकाशन संस्कृति भवन, कुरुक्षेत्र
पुस्तक प्राप्ति स्थान – विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, संस्कृति भवन, लाजपतराय मार्ग (सरलापुर रोड), कुरुक्षेत्र

3. संस्कृति प्रवाह परीक्षा (संस्कार केन्द्रों के लिए)

सेवा क्षेत्रों में चलने वाले संस्कार केन्द्रों के विद्यार्थियों में देशभक्ति, स्वाभिमान, सामाजिक समरसता आदि संस्कार विकसित करने के लिए **'संस्कृति प्रवाह'** के नाम से पुस्तिका उपलब्ध है। जिसका शुल्क 5.00 रुपये प्रति छात्र की दर से संख्या – पत्रक के साथ कुरुक्षेत्र भेजना है। संख्या एवं शुल्क प्राप्त होने पर पुस्तिकाएँ केन्द्रीय कार्यालय, कुरुक्षेत्र से उपलब्ध करायी जाएगी।

4. अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता – (भैया/बहिनों के लिये – वर्ष 2017–18)

विद्या भारती संस्कृति बोध परियोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी में तथा प्रत्येक प्रान्त की योजनानुसार मातृभाषाओं में छात्रों की 'निबन्ध प्रतियोगिता' का आयोजन निम्नलिखित वर्गानुसार होता है–

इस वर्ष के लिए वर्गानुसार विषय –

(क) शिशु वर्ग (कक्षा 4–5)	– गुरु गोविन्द सिंह का बचपन
(ख) बाल वर्ग (कक्षा 6–7–8)	– व्यवस्थित दिनचर्या की उपयोगिता
(ग) किशोर वर्ग (कक्षा 9–10)	– सिख गुरुओं की बलिदानी परम्परा
(घ) तरुण वर्ग (कक्षा 11–12)	– नानाजी देशमुख की समग्र ग्राम विकास की संकल्पना और प्रयोग

नियमावली –

1. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर **दिनांक 14 सितम्बर 2017** को आयोजित करनी है। तदुपरान्त विद्यालय में ही सभी निबन्धों का मूल्यांकन करके 7 दिनों के अन्दर, वर्गानुसार प्रथम पाँच निबन्ध एवं समपूर्ण प्रतिभागिता सूची अपनी प्रान्तीय समिति के कार्यालय में भेजें।
2. प्रत्येक प्रतियोगिता को निबन्ध लेखन से पूर्व अपना नाम, कक्षा, वर्ग, विद्यालय का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना चाहिए। इस विवरण के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
3. स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन के लिए 2 अंक निश्चित हैं।
4. प्रत्येक वर्ग के प्रतियोगी को अपने वर्गानुसार किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।
5. निबन्ध लेखन की शब्द सीमा वर्गानुसार क्रमशः शिशु वर्ग में चार सौ, बाल वर्ग में छः सौ, किशोर वर्ग में आठ सौ तथा तरुण वर्ग में आठ सौ से एक हजार शब्दों तक निर्धारित है।
6. 20X30 से.मी. आकार कागज के एक ओर ही हस्तलिखित निबंध होना चाहिए।
7. भैया तथा बहनों को हिन्दी अथवा अपनी मातृभाषा में निबन्ध लिखने की छूट रहेगी।
8. प्रत्येक निबन्ध पर प्रधानाचार्य द्वारा साक्ष्यांकन (हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित) अत्यावश्यक है।
9. भैया/बहिनों द्वारा लिखे गए सभी निबंध **दिनांक 20 सितम्बर 2017** तक परिषद कार्यालय भेजें।

5. अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता – (आचार्यों के लिए – वर्ष 2017–18)
विषय– बदलते शैक्षिक–सामाजिक परिवेश के अनुरूप आचार्यों का स्तरोन्नयन।
नियम –

1. प्रतिभागी आचार्य, प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षण में दिनांक 4 सितम्बर 2017 को विद्यालय में बैठकर अपना निबन्ध उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय पर लिखेंगे।
2. निबन्ध की शब्द सीमा 1500–2000 शब्द तथा समय सीमा 2 घण्टे अधिकतम रहेगी।
3. विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रत्येक निबन्ध को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर सभी निबन्धों को प्रतिभागिता सूची के साथ अपने प्रान्तीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
4. प्रान्तीय समिति प्रान्त निबन्धों का मूल्यांकन करवाकर श्रेष्ठतम पाँच निबन्ध एवं समस्त प्रतिभागिता सूची संस्कृति शिक्षा संस्था, कुरुक्षेत्र को **30 सितम्बर 2017** तक प्रेषित करें।

आलोक – विस्तृत जानकारी के लिए संस्कृति बोध परियोजना सत्र 2017–18 का कृपया अवलोकन करें।

6. विद्यालय द्वारा भेजी गई शुल्क –

आपके विद्यालय द्वारा यदि किसी प्रकार का शुल्क इंटरनेट बैंकिंग/कोर बैकिंग के माध्यम से सरस्वती शिक्षा परिषद को प्रेषित की जाती है तो प्रेषित की गई राशि की जानकारी पत्र के माध्यम से परिषद को निम्नानुसार भेजना आवश्यक है –

प्रेषित की गई राशि .....प्रेषण का दिनांक .....

बैंक का नाम .....खाता क्रमांक .....

भेजी गई राशि का विवरण (जिस मद के लिए भेजी गई) .....

उक्त जानकारी नहीं भेजने पर भेजी गई राशि की पावती आपको प्राप्त न होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी विद्यालय को होगी।

7. आचार्य स्थानान्तरण –

ऐसे आचार्य जो स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहते हैं उन्हें दोनों व्यवस्थापकों की परस्पर सहमति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि उनकी कल्याणकारी योजनाएं – भविष्य निधि, ग्रुप ग्रेच्युटी, समूह बीमा, आदि स्थानान्तरित विद्यालय में लागू है कि नहीं। उक्त योजनाओं की निरन्तरता बनाए रखने के लिए सम्बंधित विद्यालय एवं आचार्य की सहमति स्थानान्तरण आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. मँहगाई भत्ता –

परिषद द्वारा संचालित, सम्बद्ध एवं सम्पर्कित विद्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत मँहगाई भत्ते में वृद्धि की गई है जो जुलाई 2017 से प्रभावशील होगी।

9. क्रीड़ा शुल्क –

प्रान्त में खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र विकसित करने की दृष्टि से क्रीड़ा शुल्क 10 रुपये प्रति छात्र की दर से संकलित कर सरस्वती शिक्षा परिषद को सत्र 2017–18 के केन्द्रांश एवं परीक्षा शुल्क के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 संतोष अवधिया)
प्रादेशिक सचिव